छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 359 / 2006</u>

श्री रविन्द्र गिन्नौरे, ... आवेदक
गांधी मंदिर रोड
भाटापारा,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... अनावेदक
मुख्य कार्यपालन अभियंता,
छत्तीसगढ विद्युत मण्डल,
क्षेत्र–गुढ़ियारी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(24 अगस्त 2006)

श्री रविन्द्र गिन्नौरे के द्वारा दिनांक 23–5–2006 को आयोग के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत की कि उनके द्वारा दिनांक 29–10–2005 को छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल के द्वारा ए.व्ही.स्टील उरला में दिनांक 18 मई 2005 को की गई जांच की कार्यवाही का विवरण कुछ बिन्दुओं पर मांगा था। इस हेतु विधिवत् आवेदन शुल्क एवं जानकारी के लिए पर्याप्त शुल्क भी जमा करा दिया गया था, किन्तु उन्हें दिनांक 23–5–2006 तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

आयोग के द्वारा अनावेदक जन सूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल को नोटिस जारी किया गया कि जानकारी समयावधि में आवेदक को उपलब्ध न कराने के कारण अनावेदक पर 25,000/– रूपए अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे। अनावेदक मुख्य कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा यह स्वीकार किया गया कि पत्राचार में विलंब हुआ है। क्योंकि प्रकरण विद्युत चोरी से संबंधित था तथा प्रारंभिक शास्ति ए.व्ही. स्टील प्राईवेट लिमिटेड स्टील प्लांट पर 47.00 लाख रूपए से संबंधित प्रकरण होने से गोपनीयता के कारण दस्तावेज दिये जाने में विलंब हुआ, जिसके लिए उन्होंने क्षमायाचना की। विद्युत मण्डल के द्वारा आवेदक को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। आवेदक का यह तर्क है कि उन्हें बिन्दु क्रमांक–4 की पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है। बिन्दु क्रमांक–4 अधीक्षण अभियंता, नगर वृत्त, रायपुर एवं अधीक्षण अभियंता (टेस्टिंग) भिलाई के द्वारा ए.व्ही.स्टील के खिलाफ विद्युत चोरी के देयक प्रति दिये जाने से संबंधित है।

मेरे द्वारा आवेदक एवं अनावेदक के तर्कों को सुना गया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के द्वारा चाही गई जानकारी आवेदक को विलंब से उपलब्ध कराई गई है। सुनवाई के समय अधीक्षण अभियंता, छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि कंडिका–4 की जानकारी आवेदक को प्रदान कर दी जावेगी। यदि जानकारी अभी तक प्रदान नहीं की गई है, तो 7 दिन के अंदर आवेदक को जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे। शेष जानकारी आवेदक को प्राप्त हो चुकी है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक ने उरला क्षेत्र के उद्योग के संबंध में जानकारी चाही थी, किन्तु आवेदन पत्र गुढ़ियारी क्षेत्र के मुख्य अभियंता को दिया गया था। छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग अधिकारी घोषित किये हैं, अतः यदि आवेदक सक्षम सूचना अधिकारी से जानकारी मांगता तो समय पर जानकारी प्राप्त हो सकती थी। जन सूचना अधिकारी छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल के द्वारा विलंब के लिए क्षमायाचना भी की गई है। प्रकरण से स्पष्ट होता है कि विलंब जानबूझकर, द्वेषवश अथवा जानकारी नहीं देने के उद्देश्य से नहीं हुआ है। अतः सूचना अधिकारी के विरूद्ध अर्थदण्ड दिये जाने के आदेश की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। पूर्व में जारी किया गया अर्थदण्ड का नोटिस निरस्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे पृथक–पृथक क्षेत्र के लिए बतलाये गये सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों के नाम, पद एवं कार्यालय का पता सार्वजनिक रूप से जनसामान्य की जानकारी के लिए प्रकाशित कराये, जिससे कि जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदकों को भटकना न पड़े। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल अपने अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को अवगत कराने हेतु समुचित प्रशिक्षण करने की व्यवस्था करें।

उक्त निर्देशों सहित आवेदक की शिकायत का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त